# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

रेफरेन्स संख्याः 24/2023
पूर्व दर्ज नंबर 04/20

GCMS No.—2020/00065

तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. गंगाराम पुत्र कल्याण हि0 1/2 जाति नायक निवासी बहलोड।
2. भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ हि0 1/4 जाति नायक निवासी बहलोड।
3. नानगराम पुत्र जगन्नाथ हि0 1/4 जाति नायक निवासी बहलोड।

———————

उपस्थितः–

1. श्री जितेन्द्र कुमार पारीक अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट की ओर से।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

## निर्णय

दिनांकः 04.12.2024

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि तहसीलदार जमवारामगढ ने जरिये पत्रांक/भू.अ./2020/3449 दिनांक 19.08.2020 से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम बहलोड तहसील जमवारामगढ, हाल तहसील आंधी स्थित खाता संख्या 383 चारागाह भूमि खसरा नंबर 7 कुल रकबा 59.81 है0 भूमि में से न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ जयपुर के वाद संख्या 57/2014 बउनवान गंगाराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2016 दावा इन्द्राज व घोषणा के तहत नवीन खसरा नंबर 877/7 रकबा 2.02 हैक्टेयर अर्थात 8 बीघा की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 गंगाराम, भंवरलाल, नानगराम सा0 देह के नाम दर्ज करने के आदेश पारित हुए। उक्त आदेशो की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नामान्तकरण संख्या 287 फैसल दिनांक 14.07.2019 के द्वारा अप्रार्थीगणों के नाम खातेदारी प्रदान की गयी। चारागाह खाते से 8 बीघा भूमि कर खातेदारी प्रदान की गई जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 16 का उल्लंघन इसलिए न्यायालय में रेफरेन्स पेश किया गया है। ग्राम बहलोड, तहसील जमवारामगढ के सेटलमेटन्ट खतौनी संवत् 2008 के खाता संख्या 261 के आराजी खसरा नंबर 1120 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा बारानी दोयम, खसरा नंबर 1207 3 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नंबर 1235 रकबा 1 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा किस्म बारानी दोयम की खातेदारी बाल्या पुत्र पूरया कौम नायक सा. देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। भूमि एकीकरण राजस्थान की खतौनी तुलनात्मक/समझौता जमाबंदी संवत् 2019 के खाता संख्या 61 के आराजी खसरा नंबर 1120 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 1207 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा बारानी दोयम एवं खसरा नंबर 1235 रकबा 1 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल किता 3 रकबा 8 बीघा किस्म बारानी दोयम बाल्या पुत्र पूरया नायक सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। इस तुलनात्मक जमाबंदी के कॉलम अनुसार कल्याण पुत्र बाल्या ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि मेरे पिता का देहान्त हो चुका है इस खाते की जमीन पर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

भैरू पुत्र महादेव गुर्जर का कब्जा है इस लिए 8 बीघा जमीन मेरे खाते से कम की जाकर भैरू के नाम लगा दी जावे। मुझे कोई एतराज नहीं है, इस पर कल्याण की अंगूठा निशानी दर्ज रिकॉर्ड है। तुलनात्मक जमाबंदी में अप्रार्थीगणों के द्वारा जमीन स्वेच्छा से दूसरे व्यक्ति के नाम लगाने की बात कही है। अतः भू प्रबन्ध विभाग जयपुर द्वारा उक्त भूमि को चारागाह भूमि में शामिल किया गया है। इस प्रकार खातेदार/खातेदार के वारिसों को उक्त भूमि में घोषणा या वाद द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इसलिए प्रकरण रेफरेन्स योग्य है। ग्राम बहलोड तहसील जमवारामगढ के खसरा नंबर 1120, 1207, 1235 कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा के एकीकरण के नवीन खसरा नंबर 2 बने है। जिसका कुल रकबा 945 बीघा 3 बिस्वा दर्ज है। खसरा नंबर 2 के हाल बन्दोबस्त सन् 2008 से 2028 के द्वारा खसरा नंबर 7 कुल रकबा 60.0600हैक्टेयर बना है। जो कि चारागाह के खाते में दर्ज रिकॉर्ड है। मिलान क्षेत्रफल एवं हाल खतौनी बन्दोबस्त की जमाबंदी संलग्न है। हाल जमाबंदी में खसरा नंबर 7 रकबा 59.81 हैक्टर किस्म चारागाह में से 2.02 है0 भूमि अप्रार्थीगणों के नाम लगा दी गयी है। जो भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में है एवं धारा 16 का उल्लघंन है। इस कारण रेफरेन्स योग्य है। उक्त विवादित भूमि का नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अर्न्तगत होने से ग्राम बहलोड के खसरा नंबर 877/7 रकबा 2.02 हैक्टर में अप्रार्थीगण का नाम हजफ कर पुनः चारागाह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस अप्रार्थीण जारी करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार पारीक उपस्थित आयें। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस विद्वान राजकीय अभिभाषक एवं अप्रार्थी अधिवक्ता 1 लगा0 3 सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो शामिल मिसल रहे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक की दलील है कि वादग्रस्त भूमि राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अर्न्तगत चारागाह भूमि में से तरमीम कर दी गयी है। अतः भूमि को निजी खातेदारी से हटाकर पुनः चारागाह के नाम आदेश करे एवं भूमि की खातेदारी के संबंध में स्वीकार हुए नामान्तकरणों को निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रस्तुत रेफरेन्स निराधार व बेमानी है। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजि0 (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ जयपुर के वाद संख्या 57/2014 के निर्णय दिनांक 15.06.2016 दावा इन्द्राज व घोषणा के तहत नवीन खसरा नंबर 877/7 रकबा 2.02 हैक्टेयर की खातेदारी अप्रार्थीगणों के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये। माननीय न्यायालय के समक्ष रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित है कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी संवत् 2008

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

में अप्रार्थी के पूर्वज बाल्या पुत्र पूरया कौम जाति नायक सा0 देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय संवत् 2008 में भूमि की किस्म चारागाह, नदी, नाला व मंदिर माफी होना नितान्त आवश्यक है। अप्रार्थीगण के पिता ने कभी अपनी भूमि राजस्थान सरकार को सरेण्डर नहीं की ना ही अपनी उक्त आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को देने हेतु कोई प्रार्थना पत्र अथवा अर्जी किसी भी राजस्व कार्यालय/न्यायालय में नहीं दी है। कल्याण पुत्र बाल्या द्वारा अपनी उक्त आराजीयात को भैरव पुत्र महादेव गुर्जर के नाम से खातेदारी करने का निवेदन किया है जबकि इस संबंध में कोई दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। अप्रार्थी को खातेदार राजस्व न्यायालय के आदेश के द्वारा प्राप्त हुयी है एवं संवत् 2008 से पूर्व लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अस्तित्व में आने से पूर्व से ही चली आ रही थी। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ द्वारा वाद संख्या 57/14 में पारित आदेश की अपील किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है तथा उक्त वाद पत्र में पारित निर्णय व डिक्री अंतिम है। प्रार्थी तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पेश रेफरेन्स सारहीन होने से खारिज किया जावे।

उभय पक्ष विद्धान अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय दस्तावेजात आद्योपान्त अवलोकन किया तथा विद्वान राजकीय अभिभाषक एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की दलील पर गौर किया गया एवं सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। विचाराधीन प्रकरण में वादग्रस्त भूमि की संवत् 2008 की जमाबन्दी के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगणो के पूर्वज बाल्या पुत्र पूरया के नाम से ग्राम बहलोड स्थित भूमि आराजी खसरा नंबर 1120, 1207, 1235 कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा किस्म बारानी दोयम की खातेदारी दर्ज रही है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग जयपुर द्वारा अप्रार्थीगणों की भूमि को चारागाह में शामिल कर दिया इस तथ्य को तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा भी न्यायालय में प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी गंगाराम द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ में प्रस्तुत वाद संख्या 57/2014 बउनवानी सरकार बनाम गंगाराम में पारित आदेश दिनांक 15.06.2016 अनुसार अप्रार्थीगणों/खातेदारो के हक में रकबा 8 बीघा का वर्तमान जमांबदी में अंकन दुरूस्त किये जाने बाबत आदेश दिया गया। जिसके पश्चात तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अप्रार्थीगणों के नाम खातेदारी खसरा नंबर 7 रकबा 59.81 हैक्टेयर में से नवीन खसरा नंबर 877/7 रकबा 2.02 बनाया जाकर नामान्तकरण संख्या 287 तस्दीक किया गया। प्रकरण में चारागाह भूमि में से रकबा 8 बीघा कम कर अप्रार्थी को खातेदारी प्रदान की गयी है जबकि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ द्वारा पारित आदेश में विशिष्ट खसरा नंबर एवं तरमीम बाबत कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है इसलिए भूमिधारी होने की हैसियत से तहसीलदार

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

जमवारामगढ को न्यायालय के आदेश की पालना से पूर्व विधिक परामर्श कर अप्रार्थीगणों के हक में तरमीम आदेश एवं नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा तरमीम आदेश के संबंध में न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया इसलिए प्रथम दृष्टया पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा बिना किसी सक्षम स्तर के आदेश/अनुमोदन के ही नामान्तकरण तस्दीक कर तरमीम आदेश पारित किया गया है साथ ही चारागाह से भूमि कम किये जाने की स्थिति में रकबा बरारी के संबंध में भी कोई दस्तावेज तहसीलदार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये है। तहसीलदार जमवारामगढ अप्रार्थी के पूर्वज बाल्या पुत्र पूरया के संवत् 2008 में ग्राम बहलोड स्थित भूमि की खातेदारी भूमि किस्म बारानी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रकरण रेफरेन्स योग्य नहीं पाते है, किन्तु तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रकरण में पारित तरमीम आदेश दिनांक 14.07.2019 बाबत नामान्तकरण संख्या 287 पूर्णतः जांच कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में निहित प्रावधानो की पालना किये बिना पारित किये जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा ग्राम बहलोड, हाल तहसील आंधी स्थित भूमि खसरा नंबर 877/7 रकबा 8 बीघा के संबंध तस्दीक नामान्तकरण संख्या 287 पर पारित आदेश दिनांक 14.07.2019 एवं तरमीम आदेश खारिज किया जाता है एवं प्रकरण में तहसीलदार आंधी को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ द्वारा वाद संख्या 57/2014 बउनवानी गंगाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2016 के संबंध में सक्षम स्तर से विधिक परामर्श प्राप्त करे एवं भूमिधारी होने की हैसियत आलौच्य आदेश दिनांक 15.06.2016 में विधिक त्रुटि पायी जाती है तो सक्षम न्यायालय में आदेश दिनांक 15.06.2016 की अपील करने की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

( विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर